समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

उत्तम सिंह तनय स्व. महेन्द्र सिंह ठाकुर
निवासी ग्रा० बामोरा तह. व जिला सागर .....आवेदक

//विरूद्ध//

सुभाषचन्द्र तनय रतनचंद जैन
निवासी मड़खेरा तह. व जिला दमोह (म०प्र०)
.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमाँक 214/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 03–09–2013 में पारित आदेश के विरूद्ध परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, विचारण न्यायालय अपर तहसीलदार के समक्ष के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर विवादित आदेश के तहत राजस्व रिकार्ड में मौरूसी के स्थान पर भूमि स्वामी दर्ज कराने का आदेश एकपक्षीय रूप से पारित करा लिया गया जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत कि गई जिसमें विद्वान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त आदेश को बिना किसी हितवत पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देना न पाते हुए तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आभाव में पारित नामांतरण आदेश को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील का निराकरण बिना किसी विश्लेषण के विचारण न्यायालय के आदेश को स्थिर रखे जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने है।

3. यह कि, विचारण न्यायालय द्वारा अपने पारित आदेश में बिना दस्तावेजों का अवलोकन किए, एवं बिना पटवारी रिपोर्ट व बिना साक्ष्य, बिना सुनवाई का अवसर दिए ही जल्दबाजी में अपना निष्कर्ष निकाल कर पारित किया था जिसे अनुविभागीय अधिकारी

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
9424404113, 07582–244808

XXXIX(a)-BR(H)-11

-1.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग. 858. II. 16... जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-3-16	1— आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित उनके द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किए। 2— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर म.प्र. के प्रकरण क्र. 214/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 03.09.2013 के विरूद्व म.प्र. भू.रा.संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि विचारण विचारण न्यायालय अपर तहसीलदार के समक्ष के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर विवादित आदेश के तहत राजस्व रिकार्ड में मौरूसी के स्थान पर भूमि स्वामी दर्ज कराने का आदेश एकपक्षीय रूप से पारित करा लिया गया जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत कि गई जिसमें विद्वान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त आदेश को बिना किसी हितवत पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देना न पाते हुए तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आभाव में पारित नामांतरण आदेश को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील का निराकरण बिना किसी विश्लेषण के विचारण न्यायालय के आदेश को स्थिर रखे जाने से अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4— उनका यह भी तर्क है कि विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में बिना दस्तावेजों का अवलोकन किए, एवं बिना पटवारी रिपोर्ट व बिना साक्ष्य, बिना सुनवाई का अवसर दिए ही जल्दबाजी में अपना निष्कर्ष निकाल कर पारित किया था जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किए जाने में कोई त्रुटि नहीं की थी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्शित पक्षकारों को उनकी सहमति के आभाव में तथा उन्हें हितवत पक्षकार होने के उपरांत भी सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त सागर	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्वारा जिस पर गौर किए बिना यह मान्य किया है कि इश्तहार का प्रकाशन कराया जाकर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई के आधार पर विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा है अतएव उन्होंने अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया है। 5— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा आर्डरशीट का एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि हितवत पक्षकारों को बिना किसी सुनवाई के तथा दस्तावेजों के आभाव में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। तथा आर्डरशीट के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष कोई भी पुराना दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। मात्र वर्ष 2010—11 के खसरा एवं बीमा की नकल के आधार पर प्रतिअपीलार्थी को मौरूसी कृषक मान्य किया जाना न्यायसंगत नहीं पाता हूँ। अपर आयुक्त सागर द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 03.09.13 में मात्र इश्तहार का आधार लेकर विचारण न्यायालय के आदेश को वैद्य मान्य किया है। जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में पारित आदेश विधि संगत न होने से प्रकरण तहसीलदार सागर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदक एवं अनावेदक को विधिवत पुनः सुनवाई का अवसर देने के उपरांत प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर साक्ष्य एवं प्रति परिक्षण उपरांत प्रकरण का पुनः निराकरण करे। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	